

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर
बइजलास श्री चिमन लाल मीना R.A.S

मिसल नं.
49/2023

तारीख दायर
15/05/2023

तारीख फैसला
05/002/2024

- उनवान -

1. जगदीश पुत्र मंगला
2. नरसीलाल पुत्र मंगला
3. बदीनारायण पुत्र मंगला
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगला
5. हनुमान पुत्र मंगला
6. बालूराम पुत्र श्रीनारायण
7. नानगी देवी पत्नि श्रीनारायण

समस्त जातियान मीणा निवासीयान ग्राम डोडा डूंगर तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेशनारायण पुत्र छाजू
2. कमला पुत्री छाजू
3. कमला पुत्री मूलचन्द
4. कल्ली देवी पत्नि सीताराम
5. कौशलया पत्नि गणेश
6. गोपीराम पुत्र छाजू
7. चौथूराम पुत्र छाजू
8. नाथू पुत्र मूलचन्द
9. पार्वती देवी पत्नि गोपीराम
10. मनोज पुत्र मूलचन्द
11. मूली देवी पत्नि चौथूराम
12. रेखा पुत्री मूलचन्द
13. विकास पुत्र मूलचन्द
14. शांति पत्नि मूलचन्द
15. सीताराम पुत्र छाजू
16. रामस्वरूप पुत्र लादूराम
17. लक्ष्मीनारायण पुत्र सोहनलाल

समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम डोडा डूंगर तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामकरण शर्मा :- वकील प्रार्थीगण।

श्री महेश शर्मा :- वकील अप्रार्थी सं० 6, 7, 8, 15

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय -

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश करने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जोरिस अप्रार्थीगणों को जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने उपस्थित होकर ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर ऐतराज प्रार्थना पत्र ऐतराज प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। शेष अप्रार्थीगण अनु0। इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं0 1 ता 5, 9 ता 14, 16, 17 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अतः वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट को गुणावगुणों के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, जमवारामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 62 रकबा 0.2800 हैक्टेयर भूमि स्थित ग्राम डोडा डूंगर, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगणों एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़